

भारतीय दूरसंचार वनियामक प्राधिकरण



ई-न्यूजलेटर



जनवरी 2023



नए साल के जशन 2023 के अवसर पर भादू वप्रा परिवार को संबोधित करते हुए

भादू वप्रा के अध्यक्ष डॉ. पी डी वाघेला

पृष्ठ 18 का 1

12 दिसंबर 2022 को जारी "हिमाचल प्रदेश के दूर-दराज के इलाकों में टेलीकॉम कनेक्टिविटी/इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार" पर अनुशंसाएँ

पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में खराब दूरसंचार कनेक्टिविटी की स्थिति और राज्य में डिजिटल डवाइड को संबोधित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने हिमाचल प्रदेश सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी), स्थानीय राज्य सरकार के अधिकारी, दूरसंचार सेवा प्रदाता, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क ल मटेड (बीबीएनएल) और स्थानीय उपभोक्ता प्रतिनिधि जैसे संबंधित हितधारकों के साथ स्वतः परामर्श शुरू किया था।

हितधारकों के परामर्श/विचारों और अपने स्वयं के विश्लेषण के साथ, भादू वप्रा ने 12 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश के दूरस्थ और दूर-दराज के जिलों में दूरसंचार कनेक्टिविटी/ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए अनुशंसाएँ जारी की हैं।

इन अनुशंसाओं के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

- ✓ हिमाचल प्रदेश (एचपी) के 25 वंचित गांवों (लाहौल और स्पीति, कुल्लू और चंबा के तीन राजस्व जिलों के अंतर्गत आने वाले) को टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए आवश्यक पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) और परिचालन व्यय (ओपेक्स) को यूएसओएफ के माध्यम से सरकार द्वारा वसूली किया जाना चाहिए।
- ✓ गैर-4जी आधारित कवरेज वाले 38 गांवों में सेलुलर मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी 20% अतिरिक्त दायरे के तहत 4जी आधारित दूरसंचार सेवा में अपग्रेड करने की सिफारिश की गई है जो क यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिविशन फंड (यूएसओएफ) के "पूरे देश में बिना कवर किए गए गांवों में 4G मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति" प्रायोजित में मौजूद है।
- ✓ यह सिफारिश की गई है कि 4जी संतृप्ति योजना के लिए, यूएसओएफ को शुरू में ऐसे सभी गांवों के लिए वी-सेट आधारित बैकहॉल कनेक्टिविटी की योजना बनानी चाहिए जहां ओएफसी या अन्य बैकहॉल मीडिया वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। वी-सेट उपकरण मासिक किराये के मॉडल या साझा बैंडविड्थ मॉडल सहित अन्य प्रचलित मॉडल पर लिए जा सकते हैं। जैसे ही ओएफसी बैकहॉल उपलब्ध कराया जाता है वी-सेट कनेक्टिविटी को वापस किया जा सकता है।

- ✓ दूरसंचार वभाग को भारतनेट परियोजना के तहत राज्य के दूर-दराज या सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित गांवों में दूरसंचार कवरेज (ब्रॉडबैंड सेवाओं सहित) का वस्तार करने के लिए नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम (एनएफएस) नेटवर्क पर एक/दो जोड़ी ओएफसी के आवंटन के लिए इसे रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के साथ उठाना चाहिए।
- ✓ हिमाचल प्रदेश के राजस्व जिलों जैसे चंबा, कुल्लू, लाहौल और स्पीति और मंडी के लिए, जिन गांवों को भारत नेट परियोजना के तहत जोड़ा जाना है, उन्हें तुरंत वी-सेट मी डया पर जोड़ा जाना चाहिए।
- ✓ डीओटी को उपयोगिता/औद्योगिक टैरिफ पर प्राथमिकता के आधार पर दूरसंचार साइटों को बिजली प्रदान करने पर विचार करने के लिए राज्य सरकार के साथ बात करनी चाहिए।
- ✓ दूर-दराज और पहाड़ी क्षेत्रों में टेलीकॉम साइटों को बिजली कनेक्शन देने के लिए अंतिम मील स्थापना शुल्क को माफ करने पर विचार करने के लिए दूरसंचार विभाग को हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार के साथ भी बात करनी चाहिए ताकि इन क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं को जल्दी शुरू करने और डिजिटल डिवाइड को पाटने में मदद मिल सके।
- ✓ डीओटी को इस मुद्दे को राज्य सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रा धकरण (एनएचएआई) और सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के साथ आगे बढ़ाना चाहिए, क सभी सड़क निर्माण, सड़क चौड़ीकरण या अन्य संबंधित कार्यों में टीएसपी के साथ पूर्व समन्वय किया जाना चाहिए (पूर्व नोटिस के माध्यम से) और दूरसंचार नेटवर्क को नुकसान का भुगतान करने के लिए ठेकेदार की देयता अनुबंधों में अंतर्निहित होनी चाहिए।
- ✓ प्रा धकरण ने अनुशंसा की है क दूर-दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रणनीतिक दूरसंचार स्थलों पर सौर पैनलों की स्थापना के लिए एक योजना बनाने के लिए दूरसंचार वभाग को इस मुद्दे को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) और हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ उठाना चाहिए।

https://traf.gov.in/sites/default/files/Recommendation_12122022_0.pdf



भादू वप्रा ने 28 दिसंबर 2022 को "रीजनल रै पड ट्रांजिट सस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर के लए ट्रेन कंट्रोल सस्टम की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) की स्पेक्ट्रम आवश्यकताएं" पर अनुशंसाए जारी कीं

दूरसंचार वभाग (डीओटी) ने अपने पत्र दिनांक 29.11.2021 के माध्यम से भादू वप्रा से एनसीआरटीसी को स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक समनुदेशन पर और उसकी मात्रा, मूल्य निर्धारण/चार्जिंग और अन्य नियमों और शर्तों पर अनुशंसाएं प्रस्तुत करने की मांग की थी।

इस संबंध में, 'आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए ट्रेन नियंत्रण प्रणाली के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) की स्पेक्ट्रम आवश्यकताएं' पर एक परामर्श पत्र दिनांक 09.06.2022 को जारी किया गया था। वर्चुअल मोड के माध्यम से दिनांक 25.08.2022 को एक ओपन हाउस डिस्कशन (ओएचडी) आयोजित किया गया था।

हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, भादू वप्रा ने 'आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए ट्रेन नियंत्रण प्रणाली के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) की स्पेक्ट्रम आवश्यकताओं' पर अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया।

इन अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- क. एनसीआरटीसी को रेलवे ट्रैक के साथ आरआरटीएस कॉरिडोर में उपयोग के लए 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज (युग्मित) स्पेक्ट्रम सौंपा जाए।
- ख. एनसीआरटीसी को सौंपे गए फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम अन्य आरआरटीएस/मेट्रो रेल नेटवर्क को भी सौंपा जा सकता है, जो भौगोलिक रूप से अलग हैं और एक दूसरे के लए कोई हस्तक्षेप करने की संभावना नहीं रखते हैं।
- ग. आरएएन शेयरिंग की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए, डीओटी की देखरेख में आईआर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) को शामिल करते हुए रेल मंत्रालय द्वारा मल्टी-ऑपरेटर कोर नेटवर्क (एमओसीएन) के माध्यम से आरएएन शेयरिंग का फील्ड परीक्षण किया जा सकता है।
- घ. रेलवे नेटवर्क के लिए कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क (सीएनपीएन-आर) के लिए अनुमति/लाइसेंस की एक अलग श्रेणी बनाई जा सकती है। हालांकि, सीएनपीएन-आर के लिए अनुमति/लाइसेंस व्यवस्था को बहुत सरल और हल्का रखा जा सकता है।
- ङ. स्पेक्ट्रम चार्जिंग तंत्र और भुगतान शर्तें:-

- i. 10 वर्षों के लिए नीलामी निर्धारित मूल्य संबंधित एलएसए के लिए 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड के लिए नवीनतम 2022 नीलामी में प्राप्त नीलामी निर्धारित मूल्य के 0.5 गुना (आधा गुना) के बराबर होना चाहिए।
- ii. संबंधित एलएसए की नीलामी निर्धारित कीमत जिसके माध्यम से आरआरटीएस/मेट्रो रेल नेटवर्क गुजरता है, को बेंचमार्क के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जो एक विशेष एलएसए के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष कॉरिडोर क्षेत्र के लिए यथानुपात आधार पर समायोजित किया जाना चाहिए।

https://traf.gov.in/sites/default/files/Recommendation_28122022.pdf



भादू वप्रा ने 29 दिसंबर 2022 को 'मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) के पंजीकरण के नवीनीकरण' पर अनुशंसाए जारी की हैं

भादू वप्रा ने 29 दिसंबर 2022 को "मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों के पंजीकरण के नवीनीकरण" पर अनुशंसाए जारी की हैं। एमएसओ नवीनीकरण प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों पर भादू वप्रा को एमआईबी से एक संदर्भ प्राप्त हुआ है। इस संबंध में, भादू वप्रा ने हितधारकों से टिप्पणियां मांगने के लिए 20 जुलाई 2022 को 'मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों के पंजीकरण के नवीनीकरण' पर एक परामर्श पत्र जारी किया। भादू वप्रा को 10 हितधारकों से टिप्पणियां मिलीं और 19 अक्टूबर 2022 को ऑनलाइन मोड के माध्यम से ओपन हाउस चर्चा हुई। सभी टिप्पणियों और मुद्दों के आगे के विश्लेषण पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप दे दिया है। अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

- क. एमएसओ पंजीकरण का नवीनीकरण 10 वर्ष की अवधि के लिए किया जाना चाहिए
- ख. प्राधिकरण अनुशंसा करता है कि नवीनीकरण के समय प्रक्रिया शुल्क 1 लाख रुपये रखा जाना चाहिए।

https://traf.gov.in/sites/default/files/Recommendation_29122022.pdf



परामर्श पत्र

भादू वप्रा ने 10 दिसंबर 2022 को "भारतीय वमानपत्तन प्रा धकरण के अलावा अन्य संगठनों द्वारा वमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच प्रदान की गई डेटा संचार सेवाएं" पर परामर्श पत्र जारी किया

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अपने पत्र दिनांक 12 अप्रैल 2022 के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ कहा है कि अति उच्च आवृत्त (वीएचएफ) डेटा लिंक सेवाओं में उड़ानों की सुरक्षा के लिए वमान को ट्रैक करने हेतु डेटा शामिल होता है। संचार मंत्रालय ने विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच वीएचएफ डेटा संचार लिंक संचालित करने के लिए मैसर्स सोसाइटी इंटरनेशनल डी टेलीकम्युनिकेशंस एरोनॉटिक और मैसर्स बर्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज को आवृत्त निर्दिष्ट की है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विमान संचार एड्रेसिंग और रिपोर्टिंग सेवा प्रदान करने के लिए वीएचएफ डेटा लिंक सेवाएं वास्तविक समय के आधार पर विमानों को ट्रैक करने और विमानन आपदा की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जांच/खोज और बचाव कार्यों में मदद करने के लिए फायदेमंद हो सकती हैं, डीओटी ने भादू वप्रा से निम्न लेखत पर अनुशंसाएं प्रदान करने का अनुरोध किया है:

- इन संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र।
- 2012 में 2जी - रे डयो फ्रीक्वेंसी केवल नीलामी के माध्यम से आवंटित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में इन संगठनों को जिस तरह से फ्रीक्वेंसी आवंटित की जानी चाहिए।

इस संबंध में, दिनांक 10.12.2022 को भारतीय वमानपत्तन प्रा धकरण के अलावा अन्य संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली वमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच डेटा संचार सेवाओं पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया था, जिसे हितधारकों से उनकी राय प्राप्त करने के लिए भादू वप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर रखा गया है। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से 09.01.2023 तक लिखित टिप्पणियां और 23.01.2023 तक जवाबी टिप्पणियां आमंत्रित की गयी।

https://traai.gov.in/sites/default/files/Consultation_10122022.pdf



23 दिसंबर 2022 को जारी 'भारत में सबमरीन केबल लैंडिंग के लिए लाइसेंसिंग ढांचे और नियामक तंत्र' पर परामर्श पत्र।

डीओटी ने अपने दिनांक 12 अगस्त 2022 के तहत मौजूदा यूएल-आईएलडी/स्टैंडअलोन आईएलडी लाइसेंस के तहत भारत में सबमरीन केबल लैंडिंग के लिए लाइसेंसिंग ढांचे और नियामक तंत्र पर भादू वप्रा की अनुशंसाएं मांगी हैं।

सबमरीन केबल डिजिटल युग की महत्वपूर्ण संचार अवसंरचना हैं और आज की तेज़-तर्रार डेटा संचालन अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। सबमरीन संचार केबलों का वैश्विक व्यापक नेटवर्क दुनिया भर के लोगों और व्यवसायों को जोड़ने वाले कई देशों के समुद्री क्षेत्रों में फैला हुआ है। केबल लैंडिंग स्टेशन के मा लकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारत में लगभग सत्रह सबमरीन केबल हैं जो चौदह अलग-अलग केबल लैंडिंग स्टेशनों पर समाप्त होती हैं। इसके अलावा, कई नए सबमरीन केबल शुरू होने की कगार पर हैं, जो भारत के व भन्न तटीय शहरों में पहुंचेंगे।

डीओटी ने अपने संदर्भ पत्र में सबमरीन केबल सिस्टम में कुछ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के ऑपरेटरों (आईएलडीओ) की कोई हिस्सेदारी नहीं होने पर भी पनडुब्बी केबल के मा लकों की ओर से भारतीय प्रादेशिक जल/अनन्य आर्थिक क्षेत्रों में ऐसी केबल बिछाने/रखरखाव के लिए मंजूरी की मांग करने और ऐसे सबमरीन केबल के लिए केबल लैंडिंग स्टेशन (सीएलएस) की स्थापना के लिए आवेदन करने के लिए भी चंता व्यक्त की है। इस प्रकार भादू वप्रा ने यह परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया है ताकि दूरसंचार विभाग से प्राप्त संदर्भ में चिह्नित मुद्दों पर हितधारकों के विचार प्राप्त किए जा सकें।

हितधारकों से परामर्श पत्र पर लिखित टिप्पणियां 20 जनवरी 2023 तक आमंत्रित की जाती हैं।

https://tra.gov.in/sites/default/files/CP_23122022.pdf



वनियम

आपदाओं/गैर-आपदाओं के दौरान कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (CAP) प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित एसएमएस और सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट के लए 06 दिसंबर 2022 को टैरिफ- टेलीकम्युनिकेशन टैरिफ (69वां संशोधन) आदेश, 2022

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने भादू वप्रा से आपदा/गैर-आपदाओं के दौरान सीएपी प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीएसपी द्वारा प्रसारित किए जाने वाले एसएमएस और सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट/संदेशों के लिए टैरिफ प्रदान करने का अनुरोध किया है।

डीओटी केवल एक निश्चित अवधि के लिए और उन घटनाओं के लिए जहां एनईसी/एनसीएमसी/एसईसी/नोडल प्राधिकरणों से मुफ्त संदेशों के लिए विशिष्ट अनुरोध आता है, मुफ्त में एसएमएस/सेल प्रसारण की अनुमति देता है। हालाँकि, ऐसे अवसर होते हैं जब सरकार जनता को संभावित आपदा या ऐसे अवसरों के बारे में चेतावनी संदेश भेजना चाहती है जहाँ जनता को राहत / टीका / चिकित्सा शिविर / विशिष्ट कानून और व्यवस्था संबंधी स्थितियों आदि जैसे वशेष आयोजनों के बारे में सूचित करना होता है।

तदनुसार, मौजूदा प्रथा के अनुसार, भादू वप्रा ने इस वषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया और सभी हितधारकों/प्रतिभा गयों के वचारों और उनके वश्लेषण पर वचार करने के बाद, प्रा धकरण ने निर्णय लिया क आपदा के दौरान या आपदा की अधसूचना से पहले या आपदा की समाप्ति के बाद भेजे गए ऐसे एसएमएस/सेल प्रसारण - अलर्ट/संदेशों के लए कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जारी निर्देशों के अनुसार भेजे गए एसएमएस अलर्ट/संदेशों के अलावा 0.02 रुपये (केवल दो पैसे) का शुल्क निर्धारित किया है।

https://traai.gov.in/sites/default/files/Regulation_06122022.pdf



सेमिनार

15 दिसंबर 2022 को क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद द्वारा "हैदराबाद में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर" पर से मना



Seminar on "Telecom Infrastructure" at Hyderabad" on 15th December 2022 by Regional Office, Hyderabad

भादू वप्रा ने 15 दिसंबर 2022 को अपने क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद के माध्यम से भादू वप्रा के रजत जयंती समारोह और आज़ादी का अमृत महोत्सव (भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष) के एक भाग के रूप में "टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर" वषय पर एक से मना का आयोजन किया।

श्री. वी रघुनंदन, सचिव, भादू वप्रा ने देश में दूरसंचार क्षेत्र की स्थिति और भारत में दूरसंचार विकास को बढ़ावा देने में भादू वप्रा की भूमिका के बारे में बताया था। उन्होंने बिजली विनियामकों के साथ सहयोगी विनियमन, सेबी, आरबीआई आदि जैसे वित्तीय विनियमन की आवश्यकता के बारे में भी विस्तार से बताया था।

16 दिसंबर 2022 को क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा 'दूरसंचार अवसंरचना और आर्थिक विकास - एक युगपत दृष्टिकोण' पर से मना



“तेजी से डिजिटलीकरण एक वास्तविकता है और यह गति बढ़ने वाली है, आज 5जी है, और अगला 6जी हो सकता है। डिजिटलीकरण सभी को प्रभावित करता है और भौतिक अर्थव्यवस्था डिजिटल अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है।” - डॉ. पी.डी. वाघेला, अध्यक्ष, भादू वप्रा

ओपन हाउस चर्चा

9 दिसंबर 22 को प्रवेश शुल्क और बैंक गारंटी के युक्तिकरण पर ऑनलाइन ओएचडी में डॉ. पीडी वाघेला, अध्यक्ष, भादू वप्रा द्वारा प्रारंभक टिप्पणी



14 दिसंबर 22 को "एम2एम संचार के लए एंबेडेड सम" के परामर्श पत्र पर ऑनलाइन ओएचडी में भादू वप्रा के अध्यक्ष डॉ. पी.डी. वाघेला द्वारा प्रारंभक टिप्पणी



घटनाएँ

डॉ. पी.डी. वाघेला, अध्यक्ष, भादू वप्रा ने 3 दिसंबर 2022 को अहमदाबाद में गुजरात एलएसए के सभी टीएसपी के अपीलीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित किया



5 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में भादू वप्रा और एफआईसीसीआई द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित "मेटावर्स पर एक पूरे दिन की ज्ञान कार्यशाला" के उद्घाटन सत्र में भादू वप्रा के अध्यक्ष डॉ. पी.डी. वाघेला



श्री मसानोरी कौंडो, महास चव-ए शया पै स फक टेलीकम्युनिटी ने भादू वप्रा का दौरा कया और 6 दिसंबर 2022 को भादू वप्रा के स चव, श्री वी. रघुनंदन की उपस्थिति में डॉ. पी.डी. वाघेला, अध्यक्ष-भादू वप्रा के साथ चर्चा की।



भादू वप्रा ने लैं गक उत्पीड़न अ धनियम के तहत भादू वप्रा के कर्मचारियों में जागरूकता पैदा करने और उन्हें संवेदनशील बनाने के लए "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम" पर एक कार्यशाला का आयोजन कया। सुश्री वमला मेहरा (सेवानिवृत्त) आईपीएस अ धकारी ने 6 दिसंबर 2022 को इस अवसर पर सभा को संबोधत कया



टेलीकॉम सब्स क्रप्शन

30 नवंबर 2022 तक टेलीकॉम सब्स क्रप्शन डेटा :

विवरण	वायरलेस	वायरलाइन	कुल
शहरी टेलीफोन सब्सक्राइबर्स (मिलियन)	626.60	25.08	651.68
ग्रामीण टेलीफोन सब्सक्राइबर्स (मिलियन)	516.45	2.05	518.50
कुल टेलीफोन सब्सक्राइबर्स (मिलियन)	1143.04	27.13	1170.18
कुल टेली-घनत्व (%)	82.64	1.96	84.61
शहरी सब्स क्रप्शन का हिस्सा (%)	54.82	92.44	55.69
ग्रामीण सब्स क्रप्शन का हिस्सा (%)	45.18	7.56	44.31
ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स की संख्या (म लयन)	793.55	31.83	825.38

नवंबर 2022 में व्यस्ततम वीएलआर की ति थ पर सक्रिय वायरलेस सब्सक्राइबरों की संख्या 1012.33 मिलियन थी।

नवंबर 2022 में एमएनपी के लिए 12.02 मिलियन सब्सक्राइबर अनुरोध किए गए थे। नवंबर 2022 के अंत तक, इसके कार्यान्वयन के बाद से कुल 771.94 मिलियन उपभोक्ताओं ने एमएनपी सुविधा का लाभ उठाया है।

उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम

रजत जयंती के अवसर पर भादू वप्रा ने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए निम्नानुसार विशेष उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (सीओपी) शुरू किए:

क्र.सं.	स्थान	दिनांक
1	मोड़नाबाद (हैदराबाद)	06 दिसंबर 2022
2	कच्छ (गुजरात)	12 दिसंबर 2022
3	कलामसेरी (केरल)	13 दिसंबर 2022
4	बेंगलुरु (कर्नाटक)	19 दिसंबर 2022
5	ललितपुर (उत्तर प्रदेश)	21 दिसंबर 2022
6	गया (बिहार)	22 दिसंबर 2022

फोटो गैलरी



क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद द्वारा 06 दिसंबर 2022 को आयोजित केजी रेड्डी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मोइनाबाद (हैदराबाद) में छात्रों के लिए उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम



क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा 12 दिसंबर 2022 को नखतराना, गुजरात में कच्छ क्राफ्ट एसोसिएशन की महिला सदस्यों के लिए विशेष उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया



क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु द्वारा 13 दिसंबर 2022 को कलामसेरी (केरल) में आयोजित उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम



क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु द्वारा 19 दिसंबर 2022 को आयोजित बेंगलुरु (कर्नाटक) में 'विकलांग व्यक्तियों' के लिए विशेष उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम



22 दिसंबर 2022 को क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता द्वारा गया, बिहार में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम

निर्देशों/आदेशों/परामर्श पत्र/रिपोर्ट, सदस्यता डेटा आदि का पूरा विवरण भादूविप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

www.trai.gov.in

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, (ओल्ड मिंटो रोड), नई दिल्ली- 110002

हम फेसबुक पर भी हैं! हमसे जुड़ें

<https://www.facebook.com/TRAI/>

हम ट्विटर पर भी हैं! फॉलो करें ! TRAI@TRAI